झारखण्ड विधान-सभा

संविधान के 10वीं अनुसूची के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष झारखण्ड विधान-सभा का निर्णय

दिनांक 03 जनवरी, 2005

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय,
राँची ।

सत्यमेव जयते

झारखण्ड विधान-सभा

भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत् मा० अध्यक्ष झारखण्ड विधान सभा का न्याय निर्णय।

श्री लालचंद महतो, श्री रामचन्द्र केसरी, श्री मधु सिंह, एवं श्री बच्चा सिंह स०वि०स० के संबंध में अध्यक्ष द्वारा लिऐ गऐ स्वतः संज्ञान के आलोक में न्याय निर्णय।

दिनांक-03 जनवरी 2005

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय राँची

टंकित प्रति

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

राँची, दिनांक-04/01/2005

संख्या-झा0वि0सभा कार्मिक-02/2005-65/वि0स0। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के पैरा 6(i) के तहत् अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा द्वारा दिनांक-03 जनवरी, 2005 को दिये गये निर्णय (संलग्न) का प्रकाशित किया जाता है।

ह0/-

(सीताराम साहनी)
प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-झा.वि.स.कार्मिक-02/2005-66/वि0स0, रांची,दिनांक-04.01.2005

प्रतिः- श्री रामचन्द्र केशरी, श्री मधु सिंह तथा श्री लालचन्द महतो, पूर्व सदस्य, झारखण्ड विधान-सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-झा.वि.स.कार्मिक02/2005-66/वि0स0,संची,दिनांक-04.012005

प्रतिः- झारखण्ड विधान-सभा के सभी सदस्यगण (मुख्यमंत्री, अन्य मंत्रिगण सहित)/ सचिव, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन अशोक रोड, नई दिल्ली-110001/ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-झा.वि.स.कार्मिक-02/2005-66/वि0स0, रांची,दिनांक-04.01.2005

प्रतिः- मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार/ महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/ महासचिव, लोकसभा, संसद भवन नई दिल्ली 110001/ महासचिव, राज्य सभा संसद भवन, नई दिल्ली/ सचिव सभी राज्य विधान सभा/ विधान परिषद्/ सचिव, संसदीय कार्य विभाग, भारत सरकार, संसद भवन, नई दिल्ली/ सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड सरकार, राँची/ महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची तथा महालेखाकार बिहार एवं झारखण्ड, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ पो0 -ट्रेन, राँची, पटना के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित।

ह0/-

प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-झा.वि.स.कार्मिक-02/2005-66/वि0स0,रांची, दिनांक-04.01.2005

प्रतिः- झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय के सभी उप सचिवों, लेखा शाखा, उप सचिव, झारखण्ड विधान-सभा को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित।

ह0/-

प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

क्0पृ030

ज्ञाप संख्या–झा.वि.स.कार्मिक–02/2005–66/वि0स0, रांची, दिनांक–04.01.2005

प्रतिः– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ तथा अनुरोध है कि राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित करने का कृपा करें। उक्त राजपत्र की 25 प्रतियां सभा सचिवालय को उपलब्ध करायी जाय।

ह0/–
(अमर सिंह)
उप सचिव
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

उमा/

स्थानीय समाचार-पत्रों एवं समाचार चैनलों में दिनांक-२०.१२.०४ को श्री लालचंद महतो, श्री रामचन्द्र केशरी तथा श्री मधु सिंह, सदस्य झारखण्ड विधान सभा (जनता दल यूनाईटेड विधायक दल के विधायक) द्वारा राष्ट्रीय जनता दल (राजद) में शामिल होने का समाचार प्रकाशित/प्रसारित हुआ । दिनांक-२९.१२.०४ को समाचार-पत्रों में श्री बच्चा सिंह, सदस्य झारखंड विधान सभा (जनता दल यूनाइटेड विधायक दल के विधायक) द्वारा भी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) में शामिल होने का समाचार प्रकाशित हुआ ।

भारतीय संविधान की १०वीं अनुसूची के पैरा-२ दल परिवर्त्तन के आधार पर निरर्हता-(१) ३(पैरा ४ और पैरा ५) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सदन का कोई सदस्य, जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, सदन का सदस्य होने के लिए उस दशा में निरर्हित होगा, जिसमें-

(क) उसने ऐसे राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी है, या

बिहार पुनर्गठन अधिनियम २००० (२५ अगस्त २०००)की धारा २(क) तथा धारा ३ के अनुसरण में दिनांक-१५ नवम्बर २००० को झारखंड राज्य बना । बिहार पुनर्गठन अधिनियम २००० के धारा १३ (१) के अनुसरण में एकीकृत बिहार विधान सभा के लिए निर्वाचित ८० सदस्यों को झारखंड विधान सभा के लिए निर्वाचित माना गया, उल्लेखनीय है कि १५ नवम्बर, २००० को, निर्वाचन क्षेत्र सं०-२३ रामगढ़ (हजारीबाग) से निर्वाचित सदस्य की मृत्यु हो जाने के कारण, रिक्त था । बिहार पुनर्गठन अधिनियम २००० की धारा १३ (४) के अनुसरण में भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३३३ के अधीन आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए बिहार विधान सभा में नाम निर्देशित सदस्य को भी झारखंड विधान सभा में उक्त समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए नाम निर्देशित माना गया ।

3.1.05

बिहार विधान सभा, पटना से प्राप्त अभिलेख के आधार पर उपर वर्णित धाराओं के अधीन झारखंड सविधान सभा के प्रथम बैठक दिनांक-२१.११.२००० को झारखंड विधान सभा के लिए निर्वाचित/नाम निर्देशित सदस्यों की दलगत स्थिति निम्नवत थी:-

भारतीय जनता पार्टी	३२
झारखंड मुक्ति मोर्चा	१२
कांग्रेस (ई)	११
राष्ट्रीय जनता दल	९
समता पार्टी	५
जनता दल (यूनाइटेड)	३
यू.जी.डी.पी.	२
सी.पी.आई.	३
सी.पी.आई.(माले)	१
मा.समन्वय समिति	१
निर्दलीय	२
मनोनीत	१
रिक्त	१
कुल	८२

उल्लेखनीय है कि जनता दल (यूनाईटेड) के सदस्य, श्री इन्दर सिंह नामधारी, दिनांक-२२ नवम्बर, २००० को सर्वसम्मति से अध्यक्ष, झारखंड विधान सभा निर्वाचित हुए ।

श्री गौतम सागर राणा, अध्यक्ष जनता दल (यूनाइटेड), झारखंड रांची द्वारा दिनांक-१३.८.२००१ को सचिव, झारखंड विधान सभा को यह सूचना दी गई कि दिनांक-७.७.२००१ को राज्य कार्यालय जनता दल (यूनाईटेड), बरियातू, रांची में उनकी अध्यक्षता में विधायक दल, जनता

[illegible signature]
3.1.05

दल (यूनाईटेड) की बैठक हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि श्री लाल चंद महतो, सदस्य झारखंड विधान सभा, जनता दल (यूनाईटेड) के विधान सभा में नेता विधायक दल होंगे तथा श्री बैद्यनाथ राम, सदस्य झारखंड विधान सभा जनता दल(यूनाईटेड) के विधान सभा में दल के मुख्य सचेतक होंगे। इस पत्र के साथ दिनांक-७.७.०१ को हुई बैठक की कार्यवाही की छायाप्रति भी संलग्न थी जिसमें श्री गौतम सागर राणा, श्री लालचन्द महतो तथा श्री बैद्यनाथ राम के हस्ताक्षर थे ।

झारखंड प्रदेश समता पार्टी के अध्यक्ष श्री रमेश सिंह मुंडा ने दिनांक-२६.१२.०३ को अध्यक्ष, झारखंड विधान सभा को यह सूचित किया कि श्री रामचन्द्र केशरी के स्थान पर श्री मधु सिंह को समता पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में घोषणा की जाय उक्त पत्र पर श्री जलेश्वर महतो, श्री बच्चा सिंह तथा श्री मधु सिंह के भी हस्ताक्षर थे। दिनांक-२६.१२.०३ को श्री मधु सिंह को समता पार्टी विधायक दल के नेता के रूप में मान्यता दी गयी । श्री रामचन्द्र केशरी, मंत्री संसदीय कार्य एवं जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार ने श्री जार्ज फर्नांडीस, राष्ट्रीय अध्यक्ष, समता पार्टी नई दिल्ली को दिनांक-२६.१२.०३ को पत्र लिखकर यह सूचित किया कि झारखंड प्रदेश में समता पार्टी के चार विधायक श्री मधु सिंह, श्री रमेश सिंह मुंडा, श्री बच्चा सिंह, श्री जलेश्वर महतो द्वारा राजग गठबंधन के मुख्य मंत्री, श्री बाबूलाल मरांडी को हटाने की मांग पर अड़कर सरकार के लिए संकट पैदा किये हुए है । जबकि समता पार्टी विधायक दल द्वारा न तो इस तरह का सामूहिक निर्णय लिया गया न ही राष्ट्रीय नेताओं से निर्देश प्राप्त किये गये । इस परिस्थिति में मेरा विधायक दल के नेता पद पर बने रहने का कोई औचित्य नही है ।

अत: मैं नैतिकता के आधार पर समता पार्टी विधायक दल के नेता पद से इस्तीफा देता हूँ ।

सुरेश मरांडी
30.1.05

ऊपर वर्णित पत्र की प्रति श्री इन्दर सिंह नामधारी, अध्यक्ष, झारखंड विधान सभा को ज्ञापांक-४९(आ.) दिनांक-२६.२.०३ द्वारा दी गयी । (दिनांक-२७.२.०३ को प्राप्त) ।

श्री लालचन्द महतो, तत्कालीन ऊर्जा मंत्री (सदस्य जनता दल यू) ने दिनांक-२४.२.०४ को तत्कालीन अध्यक्ष झारखंड विधान सभा को लिखित सूचना दी कि समता पार्टी का विलय जनता दल (यू) में विधिवत रूप से हो गया है, इसलिए अब झारखंड विधान सभा में नीचे लिखे जनता दल (यू) के सदस्य हैं-

(१) श्री इन्दर सिंह नामधारी
(२) श्री रामचन्द्र केशरी
(३) श्री मधु सिंह
(४) श्री वैद्यनाथ राम
(५) श्री जलेश्वर महतो
(६) श्री रमेश सिंह मुंडा
(७) श्री बच्चा सिंह
(८) श्री लालचन्द महतो,

श्री गौतम सागर राणा, अध्यक्ष, जनता दल (यूनाईटेड) झारखंड प्रदेश ने दिनांक-२७.२.०४ को अध्यक्ष झारखंड विधान सभा, राँची को लिखित सूचना दी कि समता पार्टी तथा जनता दल (यू) के विलय के बाद जनता दल (यूनाईटेड) विधायक दल के सदस्यों की बैठक उनकी अध्यक्षता में हुई जिसमें सर्वसम्मति से श्री मधु सिंह, विधायक को जनता दल (यूनाईटेड) विधायक दल का नेता चुना गया है । इस पत्र के साथ दिनांक-२७.२.०४ को संपन्न जनता दल (यूनाईटेड) विधायक दल के बैठक की कार्यवाही की छायाप्रति संलग्न थी उक्त कार्यवाही में श्री मधु सिंह, श्री रमेश सिंह मुंडा, श्री वैद्यनाथ राम, श्री जलेश्वर महतो, श्री रामचन्द्र केशरी तथा श्री बच्चा सिंह के हस्ताक्षर थे ।

3.1.05

ऊपर वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री लालचन्द महतो,स०वि०स०, क्षेत्र सं०-३३(डुमरी) श्री रामचन्द्र केशरी, स०वि०स०, क्षेत्र सं०-८१(भवनाथपुर) श्री मधु सिंह, स०वि०स० क्षेत्र सं०-७५(पांकी) तथा श्री बच्चा सिंह, स०वि०स० क्षेत्र सं०-४१(झरिया) को अपने मूल दल जनता दल(युनाईटेड) की सदस्यता छोड़कर अन्य दल राष्ट्रीय जनता दल(राजद) में शामिल होना, झारखंड विधान सभा की सदस्यता से निरर्हित किये जाने का आधार बनाता है । मैंने गैर सरकारी प्रेषण संख्या-७३१,७३२ तथा ७३३ सभी दिनांक-२८.१२.०४ द्वारा क्रमशः श्री लालचन्द महतो, श्री मधु सिंह तथा श्री रामचन्द्र केशरी को दिनांक-३०.१२.०४ के पूर्वाह्न १०.०० बजे तक अपना पक्ष रखने के लिए पत्र निर्गत किया कि- भारतीय संविधान की १०वीं अनुसूची के आलोक में दल परिवर्तन के कारण क्यों नहीं उनकी सदस्यता समाप्त की जाय । इसी प्रकार गैर-सरकारी प्रेषण संख्या-७३४ दिनांक-२९.१२.०४ द्वारा श्री बच्चा सिंह को भी दिनांक-३०.१२.०४ के १०.०० बजे पूर्वा० तक अपना पक्ष रखने का समय दिया ।

चूंकि उपर वर्णित चारों सदस्य जनता दल(यूनाईटेड) के सदस्य थे इसलिए जनता दल (यूनाईटेड) के प्रदेश अध्यक्ष, श्री इन्दर सिंह नामधारी को भी गैर सरकारी प्रेषण संख्या-७२८ दिनांक-२८.१२.०४ द्वारा ऊपर वर्णित स्थिति के संदर्भ में तथ्यों से अवगत कराने का अनुरोध किया ।

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, स०वि०स० मुख्य सचेतक, भारतीय जनता पार्टी, श्री अशोक कुमार तथा श्रीमती मेनका सरदार, स०वि०स० द्वारा भी अध्यक्ष झारखंड विधान सभा को संबोधित पत्र में जनता दल (यूनाईटेड)के विधायक सर्वश्री लालचन्द महतो, मधु सिंह, रामचन्द्र केशरी तथा बच्चा सिंह द्वारा राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण करने संबंधी समाचार की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए भारतीय

3.1.05

संविधान की १०वीं अनुसूची के तहत ऊपर वर्णित सदस्यों की सदस्यता झारखंड विधान सभा से समाप्त कराने का अनुरोध किया गया । श्री लोकनाथ महतो, सदस्य, झारखंड विधान सभा, सभापति प्राक्कलन समिति द्वारा अध्यक्ष, झारखंड विधान सभा को संबोधित पत्र में सारतः ऊपर वर्णित तथ्यों का उल्लेख करते हुए श्री लालचन्द महतो,स०वि०स०, श्री रामचन्द्र केशरी, स०वि०स०,श्री मधु सिंह, स०वि०स० की सदस्यता झारखंड विधान सभा से समाप्त करने का अनुरोध किया गया है ।

सर्वश्री रामचन्द्र केशरी, लालचन्द महतो, मधु सिंह एवं बच्चा सिंह को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए दिये गये निर्धारित समय दिनांक-३०.१२.०४ के १०.०० बजे पूर्वा० तक कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ। दिनांक-३१.१२.०४ को श्री बच्चा सिंह सशरीर मेरे समक्ष उपस्थित हुए और पत्रांक-२० दिनांक-३१.१२.०४ द्वारा सूचित किया कि "वैचारिक मतभेद के कारण जनता दल(यू) में सामंजस्य नहीं कर पाने के कारण उन्होंने दिनांक- २८.१२.०४ को राजद की सदस्यता ग्रहण कर ली है तथा जनता दल (यू) की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिये जाने का भी उल्लेख उस पत्र में किया है । इसलिए मैं झारखण्ड विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा देता हूँ । मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा इस्तीफा स्वीकार कर झारखंड विधान सभा की सदस्यता से निरर्हित की जाने वाली कार्रवाई से उन्हें मुक्त कर दिया जायेगा ।" श्री बच्चा सिंह की सदस्यता से त्याग-पत्र संबंधी आवेदन दिनांक-३१.१२.०४ को स्वीकृत कर लिया गया जिसे सभा-सचिवालय की अधिसूचना संख्या-७/२००४-५६६९ दिनांक-३१.१२.०४ द्वारा अधिसूचित किया गया। त्याग-पत्र स्वीकृत किये जाने के उपरान्त श्री बच्चा सिंह के विरूद्ध सदस्यता से निरर्हित किये जाने संबंधी कार्रवाई को समाप्त कर दिया गया ।

3.1.05

दिनांक-३१.१२.०४ को गैर सरकारी प्रेषण संख्या-७८४, ७८५, तथा ७८६ द्वारा क्रमशः श्री लालचन्द महतो, श्री मधु सिंह तथा श्री रामचन्द्र केशरी को दिनांक-२.१.०५ के ३.०० बजे अपराह्न तक स्पष्टीकरण देने का अंतिम अवसर दिया गया, उस पत्र में यह भी उल्लेख किया गया था कि निर्धारित अवधि के भीतर स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने पर यह माना जायेगा कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है । दिनांक-३.१.०५ के 5 P.M. अप० तक श्री लालचन्द महतो, श्री मधु सिंह तथा श्री रामचन्द्र केशरी का स्पष्टीकरण/सूचना प्राप्त नहीं हुआ । दिनांक-३.१.०५ तक श्री इन्दर सिंह नामधारी का भी कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

31.05

आदेश

संविधान की १०वीं अनुसूची के पैरा ६(१) के तहत मैं, मृगेन्द्र प्रताप सिंह, अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा, ऊपर वर्णित तथ्यों के आलोक में इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि श्री लालचन्द महतो,स०वि०स०, क्षेत्र सं०-३३(डुमरी) श्री रामचन्द्र केशरी, स०वि०स०, क्षेत्र सं०-८१(भवनाथपुर) श्री मधु सिंह, स०वि०स० क्षेत्र सं०-७५(पांकी) द्वारा दिनांक-१९.१२.०४ को जनता दल (यूनाईटेड) की सदस्यता छोड़कर 'राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण करने की घटना सही है, जो भारतीय संविधान की १०वीं अनुसूची के पैरा (२)(१)(क) के आलोक में श्री लालचन्द महतो,स०वि०स०, क्षेत्र सं०-३३(डुमरी) श्री रामचन्द्र केशरी, स०वि०स०, क्षेत्र सं०-८१(भवनाथपुर) श्री मधु सिंह, स०वि०स० क्षेत्र सं०-७५(पांकी) झारखंड विधान सभा की सदस्यता से निरर्हित किये जाने का आधार प्रस्तुत करता है ।

अतः श्री लालचन्द महतो,स०वि०स०, क्षेत्र सं०-३३(डुमरी) श्री रामचन्द्र केशरी, स०वि०स०, क्षेत्र सं०-८१(भवनाथपुर) श्री मधु सिंह, स०वि०स० क्षेत्र सं०-७५(पांकी) को झारखण्ड विधान सभा की सदस्यता से निरर्हित किया जाता है ।

इस आदेश की प्रतिलिपि संबंधित पूर्व सदस्यों को तत्काल भेज दिया जाए तथा झारखंड राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए ।

ज्ञातव्य है कि श्री मधु सिंह के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय से स्थगनादेश प्राप्त है । इसलिए इस निर्णय की प्रति माननीय उच्चतम न्यायालय के निबंधक/सहायक निबंधक को भी प्रेषित की जाए।

(मृगेन्द्र प्रताप सिंह) 3/11/05
अध्यक्ष,
झारखंड विधान सभा

स्थान-जमशेदपुर
दिनांक-३.११.०५

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 40--100--24-9-2019 ।